भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4588
दिनांक 19 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकृत घर

4588. श्री अमरसिंग टिस्सोः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सौभाग्य योजना के अंतर्गत असम के कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ जिलों के सभी घरों का विद्युतीकरण किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त जिलों में वर्तमान में किसी भी घर में विद्युत कनेक्शन में बिजली नहीं आ रही हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) उक्त पहाड़ी जिलों में विश्वसनीय और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वितरण क्षेत्र पुनरुद्धार योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : (i) चूँकि, विद्युत एक समवर्ती विषय है, अतः उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ii) भारत सरकार वर्ष 2014 में शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और अक्तूबर, 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और वर्तमान में वर्ष 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत सभी उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध कराने में राज्यों के प्रयासों में सहायता कर रही है।

(iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के सभी आबाद, गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का विद्युतीकरण 28 अप्रैल, 2018 तक कर दिया गया। डीडीयूजेजीवाई के अंतर्गत असम राज्य के 2,732 गांव सहित कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, डीडीयूजेजीवाई तथा उसके

बाद सौभाग्य योजना के दौरान सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा किया गया। सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया, जिसमें क्रमशः कार्बी आंगलोंग एवं दिमा हसाओ जिलों के 61,928 तथा 14,295 घर शामिल हैं। दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

(iv) भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत शेष परिवारों के ग्रिड आधारित विद्युतीकरण हेतु राज्यों को सहयोग प्रदान कर रही है। इसमें राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार, जहां भी व्यवहार्य हो, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान) के अंतर्गत चिह्नित विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के घर, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत जनजातीय घर, पीएम-अजय (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के घर तथा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के अंतर्गत दूरस्थ एवं सीमावर्ती क्षेत्रों के घरों का विद्युतीकरण शामिल है। अब तक आरडीएसएस के अंतर्गत 13.65 लाख घरों के विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें कार्बी आंगलोंग एवं दिमा हसाओ जिलों के क्रमशः 9,011 तथा 2,604 घर शामिल हैं।

(v) चूंकि अधिकांश शेष घर दूरस्थ, पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में स्थित हैं, इसलिए आरडीएसएस के अंतर्गत विद्युतीकरण के मानकों में शिथिलता प्रदान की गई है तथा विद्युतीकरण लागत की अधिकतम सीमा को बढ़ाया गया है। संशोधित मानकों के अनुसार, जहां भी व्यवहार्य हो, आरडीएसएस के अंतर्गत ग्रिड आधारित विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

(vi) कार्बी आंगलोंग एवं दिमा हसाओ जिलों के लिए वितरण अवसंरचना सुदृढ़ीकरण हेतु आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4588

अनुबंध-I

हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्य:

दिमा हसाओ जिला:

प्रमुख घटक	**स्वीकृत परिमाण**	**स्वीकृत लागत (करोड़ रू. में)**
केबलिंग कार्य (लो टेंशन)	44.45 सीकेएम	2.46
उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस 11 केवी लाइन)	62.86 सीकेएम	6.63
एचवीडीएस वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर)	9	0.65
11 या 22 केवी लाइन का पुनः कंडक्टरीकरण/सुदृढ़ीकरण	42.58 सीकेएम	14.88
नई 33 या 66 केवी लाइन	15 सीकेएम	5.50
अतिरिक्त घरेलू विद्युतीकरण	2,604	17.35
कुल		47.47
वास्तविक प्रगति		**33.46%**

कार्बी आंगलोंग जिला:

प्रमुख घटक	**स्वीकृत परिमाण**	**स्वीकृत लागत (करोड़ रू. में)**
केबलिंग कार्य (लो टेंशन)	87.53 सीकेएम	4.85
एचवीडीएस 11 केवी लाइन	230.03 सीकेएम	24.25
एचवीडीएस (डीटीआर)	55	2.17
फीडर का विभाजन	45 सीकेएम	4.74
11 या 22 केवी लाइन की रिकंडक्टिंग/संवर्धन	61.14 सीकेएम	15.99
33 या 66 केवी लाइन की रिकंडक्टिंग/संवर्धन	11.5 सीकेएम	1.98
अतिरिक्त घरेलू विद्युतीकरण	9,011	59.99
कुल		**113.98**
वास्तविक प्रगति		**31.48%**
